NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/71/21 Date : 29.5.2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– कोविड–19 के कारण मृत कर्मचारियों को रेलवे मिनिस्टर वेलफेयर एवं रिलीफ फण्ड से मदद देने हेतु।

संदर्भ :– (1) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या E(W)2003/FU-4/1 दिनांक 18.8.2020
(2) NCRES का पत्र संख्या NCRES/84A/21 दिनांक 28.4.2021

महोदय,

रेलवे बोर्ड ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.8.2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्राकृतिक आपदाओं, लम्बी बीमारी या अचानक मृत्यु आदि जैसी परेशानियों से पीड़ित रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारो की मदद हेतु रेलवे मिनिस्टर एवं रिलीफ फण्ड (RMW&RF) बनाया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पत्र में रेलवे बोर्ड ने यह भी निर्देशित किया है कि पात्र कर्मचारियों के केसो को RMW&RF फंड से आर्थिक मदद हेतु वेलफेयर निरीक्षक के द्वारा अग्रसारित किया जाय।

लेकिन प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल के कर्मचारी अज्ञानतावश प्राकृतिक आपदाओं, लम्बी बीमारी इत्यादि से पीड़ित होने के बाद भी रेलवे मिनिस्टर एवं रिलीफ फण्ड (RMW&RF) से मदद हेतु प्रार्थना पत्र नही दे पाये।

NCRES को यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कोविड–19 से संक्रमित होकर अपनी जान गवाँने वालो की संख्या 100 से भी अधिक है एवं ये वही लोग है जो अपनी जान की परवाह किये बिना संक्रमण के बीच अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे थे और असमय मृत्यु से उनका परिवार आज बेहद कष्ट में हैं।

ऐसे में NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कोविड–19 के कारण जान गवांने वाले प्रत्येक कर्मचारी के मृत्यु को "On Duty Death" माना जाय और कर्मचारियों के बीच मिनिस्टर एवं रिलीफ फण्ड (RMW&RF) स्कीम के प्रचार–प्रसार के लिये उचित आदेश जारी करने का कष्ट करे ताकि पात्र कर्मचारियों का स्कीम का लाभ मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज